चुनाव परिणाम और धर्म निरपेक्षता
बजरंगलाल अग्रवाल

धर्म शब्द के दो अर्थ बताये जाते हैं 1. गुण प्रधान 2. संगठन प्रधान । पहली तरह की पहचान गुणों से होती है। न्याय प्रियता, प्रेम, सेवा, त्याग, कर्तव्य परायण्ता, क्षमा, सर्व धर्म समभाव, बसुधैव कुटुम्बकम् आदि गुण धर्म की पहली व्याख्या के अन्तर्गत आते हैं। हिन्दू, मुसलमान, इसाई या अन्य सभी धर्मो में गुणात्मक पहचान लगभग एक समान होती है। किसी धर्म में गुणों के मामले में कोई टकराव नहीं हैं। गुणात्मक पहचान के बिल्कुल विपरीत धम की एक संगठनात्मक पहचान भी होती है। इसमें झंडा, टोपी, केश, वस्त्र, उपासना, अपनत्व, राष्ट्रवाद, धर्माभिमान, अन्धविश्वास तथा कट्टरता का समावेश होता है। प्रत्येक धर्म म पहचान के मुद्दे होते ही हैं। ये मुद्दे भी टकराव के कोई कारण नहीं किन्तु जब कोई धर्म अपने विस्तार के लिये गुणों के स्थान पर संगठन को मुख्य आधार बनाता है तब टकराव के अवसर पैदा होते हैं और यदि कोई अन्य धर्म भी अपने संगठनात्मक स्वरूप को आधार बनाकर सुरक्षा में कूद पड़ता है ता गंभीर टकराव शुरू हो जाता है।

भारत में इस्लाम ने अपने विस्तार के लिये संगठन शक्ति का सहारा लिया। जब तक हिन्दू धर्म इससे सुरक्षा के लिये गुणात्मक मार्ग पर चलता रहा तब तक कोई टकराव नहीं था किन्तु संघ ने हिन्दू धर्म को सुरक्षा के नाम पर संगठित करना शुरू किया और तब टकराव गति पकड़ने लगा। इस्लाम ने अपनी विस्तारवादी नीतियॉ नहीं छोड़ी जिसके परिणाम स्वरूप संघ को भी हिन्दुओं के मन में असुरक्षा की भावना को मजबूत करने का अवसर मिलता गया।

भारत की राजनैतिक विचार धारायें भी इस टकराव को तीव से तीव्रतर कराने में सहायक बनी। कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनैतिक लाभ के उद्दश्य से मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाई आर भाजपा ने हिन्दू तुष्टीकरण की। वास्तव में राजनैतिक दलों ने साम्प्रदायिक स्वार्थ में पड़कर साम्प्रदायिकता को खूब हवा दी। कांग्रेस पार्टी के अनेक प्रमुख लोग मुस्लिम साम्प्रदायिकता के व्यक्तिगत रूप से विरूद्ध होते हुए भी नीतिगत मामलों में वे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर ही स्थिर हो पाते थे किन्तु भाजपा के अधिकांश लोग व्यक्तिगत या नीतिगत दोनों ही रूपों में मुसलमानों क कट्टर विरोधी होते गये किन्तु इस साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण में वामपंथियों की भूमिका रूप से भी इस्लाम समर्थक हो गये और नीतिगत रूप में भी। वामपंथियों ने पलड़ा इस्लाम समर्थक की ओर झुकाने में अहम् भूमिका अदा की। पूरी दुनिया में साम्यवादियों की एक स्पष्ट पहचान बनी है कि वे दूरगामी योजना भी बनाने में कुशल हैं और शब्दजाल में भी। वामपंथियों ने अपनी इस मुस्लिम तुष्टिकरण नीति का नामकरण धर्म निरपेक्ष शब्द से कर दिया और कांग्रेस के समर्थन से मुस्लिम साम्प्रदायिकता का दूसरा नाम धर्म निरपेक्षता प्रचारित और स्थापित हो गया। वामपंथियों ने भारतीय साहित्य पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया था जिससे धर्म निरपेक्ष शब्द को स्थापित होने में प्रतिबद्ध किन्तु स्थापित साहित्यकारों की भी भरपूर सहायता मिला। साम्प्रदायिक हिन्दू शक्तियॉ इस शब्दजाल का मुकाबला नहीं कर सकीं। संघ परिवार के प्रतिबद्ध साहित्यकारों ने बहुत जोर लगाया किन्तु वे सफल नहीं हो सके क्योंकि आम हिन्दू साम्प्रदायिक स्वभाव से बहुत दूर था। उन्हें इतनी सफलता अवश्य मिली कि हिन्दुओं के मन में धामिक असुरक्षा की भावना मजबूत हुई। इसी समय एक नया राजनैतिक घटनाक्रम हुआ जिसमें अटल बिहारी बाजपेई के नेतृत्व में केन्द्र में एक ऐसी सरकार बनी जो साम्प्रदायिकता के मामले में तटस्थ होकर काम कर रही थी। इस शासन में संघ परिवार ने अपने को मजबूत किया और साम्प्रदायिक मुसलमान चिन्तित हुए। गुजरात के गोधरा कांड ने संघ परिवार के हौंसले बहुत बुलन्द कर दिये जिसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों का मनोबल टूटा। अटल जी ने कभी संघ की प्रशंसा कर और कभो आलोचना कर अपनी तटस्थता बनाये रखी जिससे ऐसा लगने लगा कि अब भारत में मुस्लिम तुष्टिकारण की नीति का दिवाला निकल रहा है और संघ परिवार की साम्प्रदायिकता पर भी मजबूत नकेल लग रही है। संघ परिवार किसी भी स्थिति में नहीं चाहता था कि अटल जी मजबूत हो किन्तु अटल की अटल धर्मनिरपेक्ष छबि के सामने वह मन मसोस कर रह जाता था। मुसलमानों के प्रमुख नेता भी अटल छबि से समझौता करना श्रेयष्कर समझ कर झुक गये और चुनावे में धर्म कोई मुद्दा नहीं बना।

यह बिल्कुल सच है कि संघ परिवार का एक भी सदस्य अटल जी के पक्ष में नहीं था फिर भी वह भाजपा का जोता रहा था क्योंकि उसके पास कोई और मार्ग नहीं था। दूसरी ओर मुस्लिम सम्प्रदाय का एक भी व्यक्ति भाजपा के पक्ष में नहीं था किन्तु उसके नेतागण परिस्थिति अनुसार अटल जी के पक्ष में झुक रहे थे। चुनावों के लिये दो चार दिन ही शेष थे कि अटल जी ने हड़बड़ी में अपनी शराफत में तीन भूलें कर दीं। उर्दू शिक्षकों की बहाली, जामा मस्जिद के बुखारी का बयान और मुस्लिम मुल्लाओ की प्रचार टीम निकालने की जल्दबाजो ने साम्प्रदायिक हिन्दुओं का धैर्य समाप्त कर दिया। न सिर्फ संघ परिवार बल्कि भारत के धर्म निरपेक्ष हिन्दुओं नें भी इन तीनों कदमों को नापसंद किया। इस जल्दबाजी से मुस्लिम मतों में तो नगण्य ही वृद्धि हुई किन्तु साम्प्रदायिक हिन्दुओं का उत्साह ठंडा हो गया। पूरे भारत के संघ परिवार के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई किन्तु मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सभी जानते हैं कि चुनावों के समय संघ परिवार उतने ही जोश और लगन से काम करता है जितना कि साम्प्रदायिक मुसलमान। मुसलमानों को जोश कायम रहा और संघ परिवार बेमन से काम कर रहा था। यद्यपि सघ परिवार ने वोट भी भाजपा को ही दिलाये और दिये भी परन्तु उनम जोश का अभाव था।

मुसलमानों का संस्कार बनाया गया है कि भाजपा और उसके गठबंधन को किसी भी हालत में जोतने नहीं देना है भले ही उसका नेतृत्व एक धर्मनिरपेक्ष और तटस्थ अटल टीम के पास ही क्यों न हो क्योंकि यह टीम किसी भी हालत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता को मजबूत नहीं होन देगी। अतः उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने मन माफिक टीम को मजबूत कर दिया। दूसरी ओर संघ परिवार के संस्कार बने थे किसी भी हालत में कम्युनिष्ट कांग्रेस गठबंधन को नहीं जीतने देना है भले ही उनकी आंखों में कांट के समान चुभते अटल टीम वाले ही क्यों न जीत जावें किन्तु जल्दबाजी में संघ परिवार के कार्यकर्ता विचार की जगह भावना में बह गये और चिड़िया देखते देखते उड़ कर दूसरे खेमें में चली गई। अब वे सिर्फ हाथ मल रहे हैं।

मेरे विचार में भारत का धर्म निरपेक्ष भविष्य बहुत धुंधला दिख रहा है। कट्टरपंथी मुसलमानों को गर्व है कि उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही कांग्रेस कम्युनिष्ट गठजोड़ सत्ता प्राप्त कर सका है। अब इन दलों में यह दम ही नहीं है कि वे मुस्लिम साम्प्रदायिकता के समक्ष कभी वास्तविक धर्म निरपेक्षता की बात कर सकें ओर इस तरह वर्तमान आम चुनावों ने निर्णायक रूप से मुस्लिम साम्प्रदायिक पक्ष को मजबूत किया है। दूसरी ओर संघ परिवार सम्पूर्ण हिन्दू जन मानस में यह बात स्थापित करने में सफल है कि मुस्लिम साम्प्रदायिकता का जवाब वास्तविक धर्मनिरपेक्षता नहीं है और यदि धर्म निरपेक्षता हो इसका विकल्प होता तो अटल जी से अधिक धर्म निरपेक्षता का प्रदर्शन और कौन कर सकेगा ? इस तरह पूरे देश में अटल टीम की धर्मनिरपेक्षता चारों खाने चित है और संघ परिवार की साम्प्रदायिक सोच ने अपनी आवश्यकता सिद्ध कर दी है। वर्तमान लोकसभा चुनावों में धर्म निरपेक्षता के एक गंभीर प्रयास को ऐसा गंभीर झटका लगा है कि निकट भविष्य में कोई और ऐसा प्रयत्न करने की हिम्मत नहीं करेगा। अटल जी का तो राजनैतिक भविष्य समाप्त दिखता ही है, मुझे तो अब धर्म निरपेक्षता का ही राजनैतिक भविष्य संकट में दिख रहा है। अब साम्प्रदायिक हिन्दू संघ परिवार के नतृत्व में कांग्रेस कम्युनिष्ट गठजोड़ का विकल्प बनने के लिये पुनः अपने साम्प्रदायिक गणवेश में दिखाई देंगे और भारत पुनः साम्प्रदायिक टकराव की दिशा में आगे

बढ़ेगा। गोधरा के बाद की मुस्लिम साम्प्रदायिकता की पस्त हिम्मत में नया जोश आया है और संघ परिवार अपना अटल केंचुल उतारकर जोश म फन उठाने की तैयारी कर रहा है। भारत की धर्मनिरपेक्षता बेचारी दो विषधरों के विषयुद्ध में घायल होकर कराह रही है और पस्त अटल असहाय से उसकी मलहम पट्टी से अपने मन को संतोष प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्नोत्तर

12/1/78 ख प्रश्न श्री अर्पित अनाम, अम्बाला, हरियाणा

पश्न – मैंने आपको पत्र लिखा था कि जो कार्यकर्ता मिलते हैं वे या तो पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं या करना नहीं चाहते। आपने उक्त प्रश्नपत्र के उत्तर में ज्ञानतत्व अंक चौहत्तर में जो उत्तर दिया उससे ऐसा आभास होता है कि आप धन को कार्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आपके उत्तर के अनुसार धन ही योग्यता का आधार है। जिसके पास पैसा नहीं है वह अन्य योग्यताएँ रखते हुए भी आगे बढ़कर कुछ काम करने का अधिकारी नहीं।

उत्तर– योग्यता किया ह और उपलब्धि है प्रशंसा या धन। धन और याग्यता एक दूसरे के पूरक होते हैं। योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से योग्यता में वृद्धि होती है। यदि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो धन और योग्यता का बहुत बहुत सम्बन्ध हैं। जिनके पास धन नहीं है उनकी योग्यता भी पूर्ण विकसित नहीं हो पाती और जिनके पास योग्यता नहीं है उनकी धन वृद्धि की गति भी बाधित होती है। किसी विद्युत प्रवाह को प्रकाश का रूप ग्रहण करने में अर्थिंग की अनिवार्यता होती है। उसी तरह योग्यता को भी तीव्र गति से आगे बढ़ने हेतु अर्थ बहुत आवश्यक है किन्तु जिनको योग्यता समाज हित के साथ जुड़ी है, उनके समक्ष अर्थ कोई बाधा नहीं होता क्योंकि समाज जिनसे काम लेता है, उनकी आवश्कताओं की पूर्ति भी करता है। जो लोग धन अभाव को मुख्य कारण बताते हैं, वे या तो योग्य नहीं अथवा उनकी योग्यता का तालमेल समाज के साथ नहीं बैठ रहा। समाज को आपके जिस कार्य की तत्काल आवश्यकता नहीं, उस कार्य को आप प्रारंभ कर तथा उसे ही अपनी योग्यता का मापदण्ड बनाकर धन अभाव की शिकायत करें, यह ठीक नहीं।

आपने मेरी कठिनाई को समझा है। धन के अभाव में हमारा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। मांगना मेरा स्वभाव नहीं। ऐसी स्थिति में मुझे अपना कार्य आगे बढ़ाने में आप सब सहायक बनने की चिन्ता करें, यह बहुत अच्छी बात है। योग्यता का गला घोटना नहीं चाहिये, मैं आपके इस वाक्य से सहमत हूँ। किन्तु जो हमारे अन्य साथी भी ऐसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, वे न मेरी सहायता कर सकते हैं, न ही मैं उनकी। दो धन हीन एक दूसरे से धन की अपेक्षा करें, यह उनकी नासमझी मानी जायेगी। इसीलिये मैंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई, जिसमें धन महत्वपूर्ण हो। अपना काम करते हुए जो लोग समाज के लिये कुछ कर सकते हैं, वैसे लोग हमारी योजना से जुड़ रहे हैं। जिन्हे दूसरों से धन लेकर अपनी योग्यता का निखार करना है, उनकी अधिकार पूति का काम समाज के धन से चलता है। मसलन मने टी.बी. का अस्पताल खोला है। टी.बी. क मरीज इसमें भर्ती हो सकते हैं। अन्य बोमारियों के रोगी अन्य अस्पतालों मे भर्ती होने के लिये स्वतंत्र हैं। जो साथी शासन के अधिकार, दायित्व और हस्तक्षेप न्यूनतम होने के पक्ष में जनमत जागरण हेतु सहमत हैं, वे हमारे समर्थक हैं तथा जो अपने अन्य दायित्वों को पूरा करते हुए इस जनमत जागरण के लिए कुछ सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं किन्तु जो साथी किसी आर्थिक सहयोग के आधार पर इस योजना के सहायक हो सकते हैं, उन्हें किन्हीं अन्य संस्थाओं से जुड़ जाना चाहिये क्योंकि हमारे मिशन की प्राथमिकता प्रतिभावनों की प्रतिभा निखारना न होकर वर्तमान व्यवस्था से पीड़ित लोगों को राहत दिलाना मात्र है। मेरे विचार में वर्तमान राजनीति पूरी तरह बेलगाम हो गई है। राजनीति रूपी शेर नरभक्षी बन गया है। उसे लम्ब समय तक बाहर छोड़ना उचित नहीं। हम लोग मिलकर संवैधानिक तरीक से उक्त शेर को पिंजड़े में बन्द करने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। इसमें जो लोग जिस तरह सहायक हो सकें, वहीं उचित सहायता है।

मुझे खुशी है कि आपने मेरी योग्यता के विस्तारण में मेरे धनाभाव की बाधा को महसूस किया। हम अक्टूबर तीन, चार, पांच को अंबिकापुर में बैठ ही रहे हैं। वहाँ आपसे और चर्चा हो जायेगी।

संविधान शोध नही समाधान : बजरंग

(प्रिं.अ. अज्ञानी)

दश की समस्याओं का एक मात्र सर्वोपरि समाधान वह संविधान संशोधन है, जिसके तहत् समाज में शासन के हस्तक्षेप, अधिकार व दायित्व न्यूनतम कर स्थानीय संस्थाओं को प्रायः हरेक विषय में स्व निर्णय के पूरे–पूरे वैधानिक हक प्रदान किये जायें। इसके लिए संविधान में केन्द्रीय, प्रादेशिक व समवर्ती सूचियों के साथ स्थानीय संस्थाओं के अधिकारों की सूची पृथक से जोड़ी जाए। यह बातें प्रख्यात संविधानविद् और लोक स्वराज्य मंच व ज्ञान यज्ञ आश्रम संस्थापक श्री बजरंग लाल अग्रवाल ने कही। आप रामानुजगंज सरगुजा, छत्तीसगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष व व्यापार संघ प्रमुख भी हैं।

वे मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित लोक स्वराज्य संगोष्ठियों व बठकों को संबोधित कर रहे थे। अलग अलग स्थानों पर लोक स्वराज्य मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रिंस अभिशेख अज्ञानी के संयोजन में इनके आयोजक जिला पंचायत, बार एसोसिएशन, ग्राम पंचायत, युवजन, वृद्धजन, शिक्षक व चिकित्सक समुदाय रामकृष्ण मिशन और सत्य समाज थे। इनमे न्यायाधीश, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत पदाधिकारी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष व पदाधिकारी, चिकित्सक, व्याख्याता, युवा समाजसेवी, सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी, अधिवक्ता, धर्म सेवी और पत्रकार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यह आयोजन अजमेर (राजस्थान) में पांच माह की लोक स्वराज्य यात्रा के समापन उपरांत रामानुजगंज वापसो के दौरान संयोजित किए गए थे। उक्त यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को उनके समाधि स्थल राजघाट, नई दिल्ली से शुरू हुई थी और इस बीच उत्तर मध्य भारत के आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश, झारखंड व बिहार पहुँची। यात्रा के समापन उपरांत भोपाल स्थित 'निर्दलीय' समाचार पत्र समूह व जन संगठन 'दृष्टि' के समन्वयन में म.प्र. में निम्नांकित कार्यकम हुए–

गुना

जिला पंचायत अध्यक्ष दादा भाई श्री मूल सिंह ने अपने कार्यालय में बैठक रखी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व वक्ता श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने कहा कि जिन राज्यों में पंचायती राज लागू किया जा चुका हैं, वहाँ भी स्थानीय निकायों का संवैधानिक हक नहीं दिए गए हैं। उन्हें सिर्फ प्रशासनिक अधिकार

दिए गए हैं, जिससे ग्राम स्वराज्य महज दिखावा होकर रह गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मूल सिंह ने कहा कि विकेन्द्रीयकरण का यह आशय नहीं होना चाहिये कि सब मिलकर खायें बल्कि वास्तव में शक्ति अंतिम व्यक्ति के हाथ में पहुँचनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकायों को उनके अधिकार दिलाने के लिए दादा भाई ने एक लंबी लड़ाई लड़ी हैं और इस हेतु दर्जनों विराट आयोजन किए हैं। बहरहाल मौजूदा आयोजन में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बुंदेल सिंह यादव, जनपद सदस्य श्री सुमेर सिंह मीना, जिला पंचायत सदस्य सुश्री कमला देवी, वरिष्ठ लेखक सुगनचंद्र जैन, नलिन, समाजसेवी वृजेश दुबे बाबी, अनिल शुक्ला, आकाश श्रीवास्तव, मयंक जोशी व आशिष गुप्ता, उपसंचालक पंचायत श्री टी.एस. शुक्ला, पत्रकार श्री नारायण जे. आचार्य एवं अरूण श्रीवास्तव, अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह धाकड़, सरपंच केकड़िया खुर्द श्री कल्याण सिंह मीना, श्री सुमेर सिंह मीना एवं श्री आलोक नायक आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। व्यवस्था सूत्रधार श्री राजेश श्रीवास्तव थे।

सीहोर

जिला पंचायत अध्यक्ष व जिला पंचायत मुखियाओं के राज्य प्रमुख श्री जसपाल सिंह अरोरा ने तीन से पॉच अक्टूबर तक अंबिकापुर (सरगुजा) छत्तीसगढ़ में लोक स्वराज्य मंच द्वारा आयोजित लोक स्वराज्य समागम में अपने सहयोगी/साथी को भेजने पर सहमति दी ताकि रामानुजगंज में लाए गए स्वराज्य को भी दखा जा सके। वे यह मानने राजी नहीं हुए कि वहॉ विधानों में परिवर्तन कर नगरपंचायत अध्यक्ष श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने आमजन को सत्ता या कार्य/व्यवस्था संचालन सौंप दिया है और जनता ही राज चला रही है। उल्लेखनीय है कि अंबिकापुर में इच्छुकों को छह अक्टूबर बुधवार को लोक स्वराज्य मंच अपने साधन से रामानुजगंज ले जाएगा।

बहरहाल सीहोर आयोजन के सूत्रधार युवा समाजसेवी शिक्षक जितेंद्र परमार प्रभात विद्यार्थी के साथ सर्वश्री आकाश माथुर, नवेद सिद्दीकी, अखिलेश परमार, अभय विनीत खत्री बालकृष्ण गोलू, केतन राय, चंदन यादव, सैय्यद मोहम्मद उवेज, अभिषेक चौहान, संजय जीसस, कैलाशगौर, सननी यादव, सिद्धार्थ पप्पू व भगवान सिंह पप्पू आदि मौजूद थे। व्यवस्था भोपाल से आए शिक्षक श्री भीम सिंह राजपूत व युवा पत्रकार कुमार जगदीश पिंटू के साथ श्री भगवान सिंह मीना ने की। आयोजन स्थल जन स्वास्थ्य रक्षक केंद्र प्रमुख गिरिजेश बोयत ने स्वागत किया।

सागर

रामकृष्ण मिशन प्रमुख श्री मदन चौरसिया द्वारा रामकृष्ण भवन में आयोजित बैठक में श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने निर्वाचित जन प्रतिनिधियो को निर्वाचकों द्वारा वापस बुलाए जाने का संवधानिक अधिकार दिए जाने की पहल की। उन्होंने कहा कि निरंकुश हो चुकी राजनीति पर समाज की लगाम होनी चाहिए। आयोजन की अध्यक्षता भोपाल से आए वरिष्ठ पत्रकार व 'निर्दलीय' के प्रमुख संपादक श्री कैलाश आदमी ने की। वे लोक नायक श्री जयप्रकाश नारायण के संघर्ष के दौर के साथी रहे हैं और रामानुजगंज में भारत की समस्याय, उनके, कारण व निवारण विषय पर डेढ़ दशक तक बजरंगलाल जी के संयोजन में चले अनुसंधान में देश के तमाम मनीषियों– चिंतकों बुद्धिजीवियों के साथ भाग ले चुके हैं। उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि वैचारिक परिवर्तन से ही जन जागरण संभव है। इस अवसर पर वरिष्ठ चिंतक दादा डा. सुरेन्द्र सराफ का स्वागत आयोजकों ने किया। आरंभ में गीता गायन कुमारी सोमा व कुमार शिवम् ने किया। आयोजन में सर्वश्री तुलसीराम अठ्या (बेगमगंज), अजीत अज्जैनकर (दमोह), डा. लोकनाथ मिश्र 'मित', संतोष चौरसिया, दीनदयाल उपाध्याय, कुमारी अंजू ब्राम्हण, रामशंकर ताम्रकार, मुहम्मद इस्हाक, कु0 पिंकी खटीक, रवि ताम्रकार, रामकिशन चौरसिया, चन्द्र कुमार शर्मा, कु. ज्योत्सना खटीक, राजकुमार जैन, विजय ताम्रकार, मुन्ना चौरसिया, डा. अनिल जैन, चंद्रभान चांदवानी, बाबूलाल तिवारी, अनुज कुमार नामदेव, प्रभुदयाल ठाकुर पेंटर, नारायण जैन, सुश्री उर्मिला चौरसिया, सुरेशचन्द्र जैन, के.आर.उत्साही व पी.एल. रूपोलिया सिंह, राजेश मारण, रामनारायण मिश्र, नारायण सिंह मारण, ईश्वर गार्ड आदि मौजूद थे। सर्वश्री अर्जुन ठाकुर, ऋतुराज व्यास व अभिषेक शेरू आदि ने सहयोग दिया।

इंदौर

198 ए सुदामानगर में सत्य समाज प्रवर्तक व वरिष्ठ लेखक समाजसेवी श्री राजेन्द्र भारतीय द्वारा आयोजित समागम में ज्यादातर वरिष्ठजन उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने बताया कि रामानुजगंज में करीब 50 लाख रूपये की लागत से हुए अनुसंधान में पाया गया कि सिर्फ 11 समस्यायें वास्तविक हैं– 1. चोरी, डकैती, लूट 2. बलात्कार, अपहरण 3.मिलावट, कमतौल 4. जालसाजी, धोखाधड़ी 5. आतंक, हिंसा, दादागिरी, गुंडागर्दी 6. भ्रष्टाचार 7. चरित्र पतन 8. सांप्रदायिकता 9. जातिवाद 10. आथिक असमानता और 11. श्रम शोषण। उन्होंने कहा कि शेष सभी समस्यायें कृत्रिम, दिखावटी हैं जो जानबूझकर पैदा की गई ह ताकि मूलजड़ो से ध्यान हट सके। आयोजन में सर्व श्री डा. गणशराम पौराणिक, प्राध्यापक योगेन्द्रनाथ शुक्ल, सुरेशचन्द्र दुबे, प्रताप सिंह सोढ़ी, सदाशिव कौतुक, सुरेन्द्र द्विवेदी, हरिश्चंद्र चौधरी, लक्ष्मीनारायण तिवारी, सुखराम प्रसाद धीमान, बी.के. वैदे, डी.सी. चौहान व डी.सी. महावर आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। सहयोग कुमार हिमांशु ने दिया।

नीलबड़ (भोपाल)

उपसरपंच कुंवर श्री लीलेंद्र सिंह मारण द्वारा ग्राम पंचायत के तत्वाधान मे आयोजित संगोष्ठी में जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारी श्री ओ.पी. बुधौलिया व ज्योतिषाचार्य एवं प्राचार्य श्री कपिल कुमार शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। जनपद पंचायत फंदा अध्यक्ष श्री सूरज सिंह मारण के संयोजन में आयोजित इस समागम में सर्व श्री गब्बर सिंह मारण, मुकेश चन्द्र विद्यार्थी, जीवन मारण, डॉ. अभिमन्यु सिंह राजपूत, जगदीश वथासारसर, संतोष विश्वकर्मा, श्यामलाल, बालू सिंह नायक, लालाराम, रवींद्रसिंह ठाकुर व सुरेश आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य श्री विसता सिंह निगवाल (केकड़िया) ने को। उन्हें संबोधित करते हुए श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने कहा कि दहेज कुप्रथा, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी व महँगाई आदि समस्यायें वास्तव में नहीं हैं, अस्तित्वहीन हैं परंतु तमाम समाजसेवी संगठन और शासन–प्रशासन फिजूल का शोर मचाते रहते हैं।

उज्जैन

उन्होंने जिला बार एसोसिएशन, उज्जैन के सभागार में कहा कि दो पक्ष आपसी रजामंदी से दहेज का लेन देन करते हैं तो वही शासन रोड़े अटकाने लगता है जो चोरी, डकैती, बलात्कार, भ्रष्टाचार आदि भीषण अपराध रोकने में पंगु हैं। आपने कहा कि पुरूष शोषक व महिला शोषित नहीं ह बल्कि यह

सुनियोजित रूप से फैलाया गया भम है। इस अवसर पर आयोजन सूत्रधार अधिवक्ता श्री जितेंद्र उपाध्याय, बार एसोसिएशन अध्यक्ष पंडित श्री योगेश व्यास, उपाध्यक्ष श्री विष्णु दीक्षित, व सचिव श्री संजय त्रिपाठी के साथ अधिवक्तागण सर्वश्री मो. शफी कुरैशी, मोहनलाल चौबे, श्रीमतो कृष्णा त्रिपाठी, अजीत मिश्रा व व्ही.पी. शर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। आभार प्रदर्शन अभिभावक श्री प्रदीप शर्मा ने किया। श्री पीयूष उपाध्याय ने सहयोग दिया।

अशोक नगर

पुरानी अदालत पीछे शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक एक में व्याख्याता श्री नारायण प्रसाद श्रीवास्तव 'संतोष' के संयोजन में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से शिक्षकगण व शासकोय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उन्हें संबोधित करते हुए श्रो बजरंगलाल ने कहा कि देश में लघु उद्योगों, गृह उद्योगों व आमजन की खुशहाली के लिए कृत्रिम ऊर्जा (विद्युत, मिट्टी तेल, डीजल एवं पेट्रोल आदि) क दाम तुरंत बढ़ा दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कृत्रिम ऊर्जा का इस्तेमाल उच्च तब का ज्यादा करता है। उसके महंगे होने से परिवहन महंगा होगा, जिससे कच्चे व तैयार माल की ढुलाई महंगी होगी। लिहाजा स्थानीय उत्पादन सस्ते पड़ने से ज्यादा खपत में आने लगेंगे। इस मौके पर सर्वश्री डॉ. ओंकारलाल शर्मा प्रमद, राजेन्द्र मिश्रा, नीरज शुक्ला, श्रीमतो शालिनी श्रीवास्तव 'शिवा' अवध बिहारी कटारे, महेश श्रीवास्तव, श्रीमतो विजया शुक्ला, अशोक शर्मा, प्रियकांत माथुर, सुश्री मीना शुक्ला, श्रीमती कृष्णा श्रीवास्तव, यशपाल सिंह रघवंशी, राजकुमार शर्मा, कुमारी ज्योति श्रीवास्तव, रजनीश रजक, गिरीराज छोटू, सीताराम यादव, श्रीमतो नीता, हेमंत सोनी, अशोक सेन, श्रीमतो संध्या समाधिया, श्रीमतो मिथलेश रघुवंशी, श्रीमतो शोभा गुप्ता, श्री मंगल सिंह नरवरिया व श्री प्रदीप मिश्रा के अलावा ईसागढ़ से आए श्रो मुकेश श्रीवास्तव एवं कुमार राहुल श्रीवास्तव आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। युवा पत्रकार कुमार जगदीश पिंटू व ईसागढ़ के शिक्षक श्री हरिओम श्रीवास्तव ने व्यवस्था में योगदान दिया।

ग्वालियर

उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के सूत्रधार युवा अभिभाषक श्री अजीत शर्मा थे। इस अवसर पर श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने कहा कि देश में शीर्ष चरित्र वाले व बदचरित्र लोगों का प्रतिशत (महज एक एक) लगभग बराबर है और शेष 98 फीसदी लोग तटस्थ या उदासीन हैं। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्य है कि इन बहुसंख्यक लोगों को धर्म सेवी व समाजसेवी कोरे उपदेश देते रहते ह मगर बराबरी से साथ नहीं लेते। फलतः अपराधी लोग उन पर काबिजी कर अपना दबदबा, वर्चस्व बनाए रखते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता व म.प्र. राज्य सहकारी बैंक की संचालन समिति सदस्य श्री रामजी शर्मा के सहयोग से आहूत इस आयोजन में बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री अरूण पटेरिया ने आरंभ में श्री बजरंगलाल का स्वागत किया। इस मौके पर सर्वश्री कुंवर राजेंद्र सिंह, विजय कृष्ण योगी व के.एल. गुप्ता आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

बैरसिया (भोपाल)

सत्य समाज प्रवर्तक डा. अशोक राजवैद्य द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्री गिरधर गोपाल गट्टानी, सुश्री उमा शुक्ला, सुरेशचंद्र साहू, धन्नालाल श्रीवास, प्रभात कुमार पाठक, मो. जावेद खान, यशवंत सिंह राठौर, हेमराज सिंह गौर, सुरेशचंद्र साहू, व गोविंद शर्मा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। शिक्षक श्री कृष्णदेव चतुर्वेदी आयोजन के सूत्रधार थे, जबकि युवा पत्रकार कुमार जगदीश पिंटू ने मुख्य रूप से योगदान दिया। इस मौके पर श्री बजरंगलाल ने कहा कि संविधान सवोच्च है, यह कहना सरासर बेइमानी है। उन्होंने सवाल किया कि यदि ऐसा है तो इस शीर्ष सत्ता में संसद को संशोधन करने का अधिकार कैसे हैं ? आपने सुझाव दिया कि इस सबके लिए एक अलग से संप्रभु निकाय हो, जिसके स्वरूप, संगठन व कार्य व्यवहार पर सोचा जाना चाहिए।

विदिशा

जीवंती (डा. शंकरदयाल शर्मा स्मृति) अस्पताल में कुमार प्रियंक कानूनगों द्वारा आहूत बैठक में सर्वश्री मायाराम श्रीवास्तव, राजेश तिवारी, जगदीश शरण कानूनगों, शीलचंद जन पालीवाल, रोहित जैन, रूपेश नेमा, विशाल शर्मा, बृजेश शर्मा, लईक उल्ला सिद्दीकी, उमेश शर्मा लल्लू, मनोहर लोधी, डा. श्रीमतो तरूण सक्सेना एवं सतेन्द सिंह कुशवाहा आदि मौजूद थे। वरिष्ठ युवा पत्रकार श्री सुशील शमा ने योगदान दिया। इस मौके पर श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने कहा कि देश के एक भी रोजगार कार्यालय में वास्तविक बेरोजगार का नाम दर्ज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार वह है, जिसे किसी मान्य सुस्थापित इकाई द्वारा नियत दर पर रोजगार उपलब्ध न हो। आपने कहा कि देश मे रोजाना तमाम श्रमिकों को चाहकर भी काम नहीं मिल पाता, जबकि रोजगार तमाम श्रमिकों को चाहकर भी।

मध्यप्रदेश में दलित महिला सामूहिक बलात्कार कांड

काम नहीं मिल पाता, जबकि रोजगार दफ्तरों ने उनके नाम दर्ज कर रखे हैं जो जिलाधीश दर पर काम करने के लिए तैयार नहों हैं और उचित रोजगार की प्रतीक्षा में है।

बहरहाल उक्त आयोजनों में लोक स्वराज्य मंच के रामानुजगंज स्थित कार्यालय के सचिव श्री अशोक कश्यप निरंतर मौजूद थे। वहीं से आए श्री रघुनाथ ने लगातार योगदान दिया।

रतलाम

इस दरम्यान श्री बजरंगलाल अग्रवाल ने रतलाम जाकर अपना राज आंदोलन के प्रमुख व लोक स्वराज्य अभियान के ज्येष्ठ साथी श्री मदन मोहन व्यास से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर श्री व्यास ने कहा कि स्वराज्य तब ही होगा, जब वास्तव में स्थानीय इकाई (चौखला, 24 गांव, विकासखण्ड व नगर) गणराज्य हो। उन्होंने कहा कि गणराज वह होता है, जिसकी अपनी संसद, अपनी सरकार व अपनी अदालत होती है। श्री बजरंगलाल ने कुछ मुद्दों पर मदन मोहन व्यास जी के सुझावों का पूरी तरह समर्थन किया और दोनों विद्वानों के बीच कुछ मुद्दों पर मिलकर काम करने की सहमति बनी। मध्यप्रदेश में एक दलित महिला सामूहिक बलात्कार कांड इन दिनों समाचारों की सुर्खियों में है। घटना कुछ इस प्रकार की है कि सिवनी जिले के एक गॉव के एक दलित लड़के के साथ एक पिछड़े वर्ग की लड़की अवैध संबंधों के कारण भग गई। गॉव की पंचायत हुई और गॉव के लोगों ने उक्त दलित परिवार को

आदश दिया कि लड़के लड़की को पचायत में प्रस्तुत करें। दलित परिवार ऐसा करने में विफल हो गया। पिछड़े वर्ग के लोगों ने सामूहिक रूप से उक्त परिवार के घर पर आक्रमण कर दिया तथा उसके घर की महिलाओं को खींचते हुए जगल तक ले जाकर उनसे सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बाद देश की अनेक सामाजिक संस्थानों ने बलात्कारियो को मृत्युदंड देने की मॉग की। मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती ने उन गॉव वालों को दण्डित करने की इच्छा व्यक्त की, जिन्होंने उन महिलाओं को घसीट कर ले जाते हुए देखकर भी प्रतिरोध नहीं किया। अनक राजनैतिक दलों ने इस घटना को दलित महिला अत्याचार न रोक पाने में म.प्र. शासन की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया।

बहरहाल इस घटना ने अनेक गंभीर प्रश्न खड़े कर दिये हैं :–

1. किसी लड़के और लड़की का विवाह पूरी तरह व्यक्तिगत मामला है या उसमें परिवार और समाज की भी कोई अनिवार्य भूमिका है ?
2. किसी लड़के और लडकी के बीच अवैध संबंधों को कब वैध माना जाये और कब अवैध? यदि संबंध घोषित रूप से अवैध है तो उसमें समाज की क्या भूमिका होनी चाहिये।
3. पंचायत में दलित युवक के माता पिता की कैसी भूमिका होनो चाहिये थी ?
4. यदि परिस्थिति विपरीत होती और लड़की दलित होती तो पंचायत की भूमिका क्या होती।
5. सामूहिक बलात्कार की घटना सामान्य सामूहिक बलात्कार से अधिक गंभीर है या कम ? फांसी की मांग करने वालों की मांग कितनी उचित है ?
6. ऐसी बलात्कार की घटनाऍ महिलाओं के साथ ही क्यों होती ह ? पुरूषों के साथ क्यों नहीं ?
7. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों से प्रतिरोध की अपेक्षा करना कितना उचित है ?
8. यदि न्याय और कानून दो विपरीत दिशाओं में काम करें तो समाज को क्या करना चाहिये ?

वस्तुतः व्यक्ति परिवार और समाज के दायित्व, अधिकार और शक्ति की ठीक ठीक व्याख्या तो कभी हुई है न होगी, किन्तु उक्त व्याख्या जितनी ही अधिक स्पष्ट होगी, विवाद उतने ही कम होंगे। अन्तिम निर्णय के केन्द्र जितने ही कम होंगे और उनमें या तो सामंजस्य हो अथवा संतुलन तभी व्यवस्था ठीक से चल सकेगी। प्राचीन समय में शासन की भूमिका इन तीनों मे टकराव की स्थिति में न्याय और सुरक्षा तक सीमित थी। शासन जब से व्यक्ति, परिवार और समाज के साथ मिलकर एक और निर्णय का केन्द बना है, तब से समस्याऍ और जटिल हो गई है। शासन बहुत शक्ति सम्पन्न हो गया क्योंकि वह इन तीनों के समकक्ष की भूमिका में भी आया और तीनों के न्याय और सुरक्षा की भूमिका में भी। शासन इन तीनों के बीच मध्यस्थ बन गया और धीरे धीरे शासन ही चारों इकाइयों में सबसे अधिक निर्णायक इकाई बन गया।

किसी लड़के और लड़की का विवाह जब होता है ता उसमें परिवार और समाज की कोई भूमिका होती है कि नहीं यह विचारणीय प्रश्न है। क्या यह मान लिया जावे कि विवाह लड़के और लड़की का तो पूर्णतः व्यक्तिगत मामला है ? इसमें परिवार और समाज की कोई भूमिका नहीं हैं? शासन तो अब तक ऐसा ही मानता है किन्तु परिवार और समाज ऐसा नहीं मानता। परिवार और समाज का कोई वैधानिक स्वरूप नहीं बना है किन्तु जब परिवार और समाज के बोच तथा उनके द्वारा बनाये गये रीति रिवाजों के अन्तर्गत हुए विवाह को वैधानिक मान्यता है तो विवाह में इन दोनों की भूमिका को पूरी तरह अस्वीकार करना विवाद का एक कारण है। मैंने कई लोगों से पूछा तो पाया कि लोग विवाह में लड़के लड़की की साठ प्रतिशत, परिवार की तीस प्रतिशत और समाज की दस प्रतिशत स्वीकृति को ही पूर्ण विवाह मानते हैं। यद्यपि लड़के लड़की को ही विवाह का अन्तिम अधिकार प्राप्त है किन्तु यदि विवाह को परिवार या समाज की सहमति या स्वीकृति प्राप्त नहीं है तो ऐसे विवाहों को पंजीकरण की प्रक्रिया को कुछ और जटिल बनाना चाहिये। इस तरह ऐसे विवाहों के संबंध में परिवार और समाज की भूमिका को कानूनी तौर पर अमान्य करने के विषय में गंभीर चिन्तन आवश्यक है।

ऐसा ही विवादास्पद मुद्दा वैध और अवैध संबंधों का ह। शासन की दृष्टि में बालिग लड़के और लड़की का आपसी विवाहत्तर संबंध अवैध नहीं है, जबकि समाज और परिवार इसे अवैध मानता है। हमें यह साफ करना होगा कि अवैध संबंधों का क्या किया जावे? उन्हें प्रोत्साहन, दुर्लक्ष्य या हतोत्साहित किया जावे या नहीं? कुल मिलाकर यह स्पष्ट होना चाहिये कि वैध तथा अवैध संबंधों में क्या अन्तर है, तथा परिवार या समाज के अधिकारों तथा हस्तक्षेप की अधिकतम सीमा इसमें क्या होनी चाहिये ?

अब हम मध्यप्रदेश की इस घटना से जोड़कर उक्त विषय पर विचार करें कि उपरोक्त दलित परिवार जो लड़का पक्ष का था, उसने किन्तु कामांध सामूहिक बलात्कार इससे भी अधिक गंभीर अपराध है ,जो किया वह कितना उचित था ? पंचायत में लड़के के माता पिता ने सहयोग नहीं किया क्योंकि पंचायत का व्यवहार और निर्णय भेदभाव पूर्ण था। यहॉ यह भी विचारणीय है कि यदि परिस्थिति विपरीत होती और लड़की दलित की तथा लड़का सवर्ण या पिछड़े वर्ग का होता तब भी आक्रमण तो दलित को ही झेलना पड़ता क्योंकि समाज में प्रत्येक उच्च वर्ण का व्यक्ति हरेक निम्न वर्ण के व्यक्ति से स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। समाज में यह भेदभाव पूर्ण स्थिति समाप्त होनी चाहिये किन्तु भेदभाव को समाप्त करने के लिये अनैतिक समर्थन आचरण का उचित विरोध न करना पूरी तरह गलत था। उक्त आचरण को इस आधार पर उचित नहीं कहा जा सकता कि विपरीत परिस्थिति में सवर्ण भी वैसा ही करते। जब उक्त दलित परिवार स्वयं को कमजोर और दबा हुआ मानता था, तब तो उसके लिये और भी अधिक उचित था कि वह टकराव को टालता।

बलात्कार स्वयं में एक गंभीर अपराध है। बलात्कार कानूनी आधार पर भी गंभीर अपराध है और सामाजिक आधार पर भी। सामूहिक बलात्कार तो और भी अधिक गंभीर होकर जघन्य अपराध बन जाता है किन्तु कामांध बलात्कार और प्रतिक्रिया स्वरूप क्रोधान्ध बलात्कार में अन्तर समझने की आवश्यकता है। यदि बलात्कार के लिये फांसी की मांग करना चाहिये तो सामूहिक बलात्कार के लिये क्या मांग होगी ? मुझे यह दखकर हैरत होती है कि एक ओर तो कामांध बलात्कार के बाद हत्या के अभियुक्त को मृत्यु दण्ड से बचाने की भी मांग होती है, दूसरी ओर प्रतिक्रिया स्वरूप सामूहिक बलात्कार करने वालों के लिये फांसी की मांग होती है और दोनों ही मांगें वही मानवाधिकारवादी ठेकेदारा द्वारा उठाई जाती ह। वस्तुतः सामूहिक बलात्कार स्वयं में ही गंभीरतम अपराध है, जिसकी सजा होगी ही जिसमें इससे भी कड़ी सजा होनी चाहिये। मुझे लगता है कि आजकल मानवाधिकार के नाम पर कुछ भी आवाज उठाकर अपना नाम अखबारों में छपाने का कुछ पेशेवार लोगों का एक फैशन चल पड़ा है, जिसमें वास्तविक मानवाधिकार की आवाज दब कर रह जाती है।

इस तारतम्य में उक्त घटना के संबंध में कुछ महिला संगठनों ने प्रश्न उठाया है कि ऐसी जघन्य बलात्कार की घटनाऍ महिलाओं के साथ ही क्यों होती हैं, पुरूषों के साथ क्यों नहीं ? प्रकृति का नियम है कि बलात्कार सिर्फ महिलाओं के साथ ही संभव है, पुरूषों के साथ बलात्कार नहीं होता। अतः यह प्रश्न स्वयं में या तो औचित्य हीन हैं, या ईश्वर के समक्ष ही उठाया जा सकता है। यदि प्रश्नकर्ता का आशय अत्याचार से है तो ऐसे अवैध

संबंधों के कारण क्रोधांध, अत्याचार में अनेक पुरूषों की हत्या तक हो जाती है। ऐसे मामलों में अत्याचार महिलाओं के साथ ही होता है ऐसी कोई परंपरा नहीं। अतः ऐसे अत्याचारों को महिला अत्याचार के रूप में भी प्रचारित करना पूरी तरह गलत है।

अब हम यह विचार करें कि उक्त महिलाओ को घसीटते हुए शहर या गॉव के बीच से ले जाया गया और समाज क लोगों न प्रतिरोध नहीं किया। मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने यह कहकर समाज की आलोचना की है कि समाज के लोगा ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। उमा जी और कांग्रेस के लोगों ने भी समाज के लोगों की कर्तव्य विमुखता के लिये उन्हें अपराधी घोषित कर दण्डित करने की मांग की है। प्रश्न उठता है कि समाज के लोगों ने भयवश उन महिलाओं की रक्षा नहीं की अथवा उनकी उनके परिवार के प्रति सहानुभूति नहीं थी ? यदि भयवश समाज आगे नहीं आया तो सबसे पहले हमारे राजनेताओं को सामूहिक जुर्माना होना चाहिये। भारत की जनता हमारे देश की उस व्यवस्था को मनमाना कर और अधिकार दे रही है, जिसने स्वयं को सरकार घोषित कर सुरक्षा और न्याय का ठेका लिया हुआ है। वह सरकार उक्त सारा धन कहीं और खर्च कर न्याय और सुरक्षा के नाम पर कंगाल बनी रहें तो इसमें समाज का क्या दोष हैं ? कुछ दबंग लोग बीच बाजार से महिलाओं को घसीटते हुए ले जायें और समाज के लोग भय के कारण कुछ न बोलें तो सबसे पहले तो उन राजनेताओं को डूब मरना चाहिये जिनके अथक प्रयत्नों के बाद भी पचपन वर्षो में भारत की ऐसी दुर्गति हुई है और वहीं लोग बड़ी बेशर्मी से समाज को उक्त कायरता के लिये दण्डित करने की बात करते हैं। दुख की बात है कि हमारे राजनीतिज्ञ तो न्याय और सुरक्षा के स्थान पर धूम्रपान निषेध का नाटक करें और समाज से वे उत्तर खोंज कि उनके सामने अन्याय क्यों हुआ ? गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

यदि समाज के लोग उक्त दलित परिवार को भी गलत समझते थे, इसलिये उन्होंने साधारण अत्याचार के विरूद्ध आवाज नहीं उठाई और जो बाद में गंभीर अत्याचार में बदल गया, यदि हमारे नेताओं की यह सोच है तो इसका दोषी कौन ? यदि कभी सामाजिक न्याय और कानूनी न्याय में स्पष्ट विरोधाभाष दिखें तो इसका दोषी कौन ? समाज या शासन? कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति कोई मकान किराये पर लेकर उसे हड़पना चाहता है। न तो वह समाज की बात सुनता है न ही भारत का निकम्मा कानून ही उसे रोक पाता है। ऐसी स्थिति में मकान मालिक उस किरायेदार पर अत्याचार करता है और समाज की सहानूभूति मकान मालिक के प्रति होती है तो इसमें दोषी कौन ? आये दिन पूरे देश में कुछ धूर्त लोग दहेज या हरिजन आदिवासी कानूनों का बिल्कुल झूठा उपयोग कर समाज के शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि एक डी.एफ.ओ. जैसे बड़े अधिकारी ने भी बिल्कुल असत्य आरोप लगाकर आदिवासो हरिजन अत्याचार अधिनियम का दुरूपयोग कर एक भले आदमी को ब्लैकमेल करने का प्रयत्न किया। विचार करने की आवश्यकता है कि यदि शासन अपने कानूनों मे ऐसे संशोधन नहीं करता जो शरीफ लोगों को धूर्तो से सुरक्षा में सहायक हो और समाज की सहानुभूति हरिजन आदिवासी और महिलाओं के विरूद्ध प्रकट हो तो दोषी कौन? समाज बिना विवाह के अवैध संबंधों को अनुचित कार्य मानता हैं और कानून नहीं मानता तो आप समाज की कैसी सक्रियता चाहते हैं? क्या समाज आपके कानूनों के अनुसार अपनी सक्रियता में फेर बदल करता रहे ? इस पूरे प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है।

मेरा व्यक्तिगत मत है कि मध्यप्रदेश में सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना के लिये अपराधियों को दण्ड मिलेगा ही लेकिन वे अपराधी बिल्कुल बेदाग रहेंगे, जिन्होंने राजनैतिक स्वार्थ या नासमझी के कारण व्यक्ति, परिवार और समाज के आपसी तथा शासन से संबंधों को अस्पष्ट उलझावपूर्ण और विवादास्पद बना दिया। यदि हम चाहते है कि भविष्य में ऐसी घटनाओ की पुनरावृत्ति न हो तो हम अपने सामाजिक ढांचे के साथ साथ कानूनी ढांचे में भी सुधार करने की पहल करें।

अंबिकापुर से हो आन्दोलन का सिंहनाद

बसोली (जौनपुर) उ0प्र0 से श्री पारसनाथ त्रिपाठी ने तीन से पॉच अक्टूबर (रविवार–मंगलवार) तक अंबिकापुर, सरगुजा, छ0ग0 में आयोजित लोक स्वराज्य मंच के लोक स्वराज्य समागम से राष्ट्रीय आन्दोलन का सिंहनाद करने पर बल दिया है। उन्होंने लिखा है कि इस हेतु सभी क्षेत्रों से लोगों को सक्रिय कर वहॉ खली चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। आपने पत्र में लिखा है कि आज को व्यवस्था के विकल्प में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा जोरदार आंदोलन छेड़ने की जरूरत है जो जन मानस के अनुकूल बन सके। श्री पारसनाथ ने विभिन्न समाज परिवर्तक संगठनों को राष्ट्रीय पटल पर एक सूत्र में पिरोकर सजीव, मजबूत व व्यवहारिक रूप से जोड़ने की जरूरत बताई है। उन्होंने पतापगढ़, भदोही, फूलपुर, व मछलीशहर से लोक स्वराज्य प्रतिनिधि तैयार करने का संकल्प व्यक्त कर लिखा कि बजरंगलाल अग्रवाल जी का साहित्य एवं विचार युगानुकूल तथा व्यवहारिक है जो आज की परम आवश्यकता है। आपने दुख व्यक्त किया कि उनकी पॉच माह चली उत्तर मध्य भारत के आठ राज्यव्यापी लोक स्वराज्य यात्रा का व अपने साथी श्री इंद्रपाल सिंह के साथ क्षेत्र में सदुपयोग नहीं कर पाए मगर अब अभियान के बारे में पढ़कर सभी कार्यकर्ता सराहना कर रहे हैं और जुड़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

वहीं तेतरी (बेगूसराय) बिहार के श्री जयशंकर कुमार ने अपने संपति रहवास दिल्ली से लिखा ह– अंबिकापुर आयोजन के पहले ही अधिक से अधिक व्यक्तियों व संगठनों को जोड़ लिया जाना चाहिए। साथ ही इन विभिन्न शैक्षणिक स्वैच्छिक संस्थाओं के जरिए अपने विचार समाज में व्यापक स्तर पर पहॅुचाने की जरूरत है।

दूसरी ओर वाराणसी उ.प्र. से आचार्यकुल के अध्यक्ष श्री शरद कुमार साधक लिखते हैं– आपकी भावना को आचार्यकुल ने अपने कार्यक्रमों से प्रभावी बनाने का उपक्रम किया है, जिसकी कार्यकारिणी के आप स्थाई निमंत्रित सदस्य भी हैं। आपकी लोक स्वराज्य यात्रा के बनारस आगमन पर मैंने रूद्रभान जी से भागोदारी का आग्रह किया था क्योंकि तत्समय आचार्यकुल का गया (बिहार) में अधिवेशन था।

बजरंग जी का नेतृत्व एक बड़ी उपलब्धि : बहुगुणा

वयोवृद्ध सर्वोदयी व शिक्षाविद् श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने कहा कि लोक स्वराज्य के साथी बड़ा अच्छा काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य में धैर्य, अध्ययन, दृष्टि व सातत्य की जरूरत होती है। आपने कहा कि यह लोक स्वराज्य साथियों की बड़ी उपलब्धि है जो उन्हें कर्मठ इंसान बजरंगलाल अग्रवाल जी का नेतृत्व नसीब है।

गुमानीवाली (देहरादून) स्थित अपने निवास से भेजे पत्र में श्री बहुगुणा ने कहा है कि लोक स्वराज्य उनका प्रिय विषय है और ज्ञानतत्व को आपने जानकारी की अच्छी पत्रिका बनाई है। उन्होंने कहा कि लोक स्वराज्य ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का निचोड़ और भारत सहित समूची दुनिया के लिए एक मात्र विकल्प है। वरिष्ठतम शीर्ष सर्वादयी नेता श्री ठाकुरदास बंग के साथ वर्ष 1953 से कार्यरत श्री बहुगुणा ने सुझाव दिया है कि कम से कम पॅाच संसदीय क्षेत्र चुनकर सात वर्ष का धीरज रखकर हर गॉव मे पहुॅचते हुए संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने इसमें साथ रहने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी ऑख की रोशनी भले ही चली गई मगर दृष्टि साफ है और दिमाग तेजी से कार्यरत है।

जनमानस को भी आभास : अशेष

टुंडला (फिरोजाबाद) उत्तर प्रदेश से श्री आकाश अशेष की राय है कि जनसाधारण भी एक अस्पष्ट सी आहट का आभास करने लगा है। अब उसे लगता है, विचार क्रांति क बीज बोये बिखराये जाने चाहिए।

नवक्षेत्रों में कार्य जरूरी : आर्येदु

लोक स्वराज्य मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व आर्य समाज के दिल्ली स्थित उपदेशक श्री अखिलेश आर्येदु ने हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, पांडिचेरी, तमिलनाडु, गोवा, दादर नगर, हवेली व अरूणाचल प्रदेश में इसी राज्यवार क्रम से कार्य करन की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवार प्रभारियों से ही सीधा संपर्क रखना आवश्यक है।

ज्ञानतत्व के छह नए साथी : अमर सिंह

जयपुर से लोक स्वराज्य मंच के राजस्थान राज्य सह प्रभारी व अधिवक्ता चौधरी श्री अमर सिंह आर्य ने ज्ञान तत्व पत्रिका के छह नए सदस्य बनाए हैं सर्वश्री बाबूलाल वर्मा व दयानंद जैन (गोपालपुरा), रामवीर सिंह एवं व्ही पी जैन (सूर्यनगर) रामबाबू सक्सेना मानसरोवर और धन सिंह (महेशनगर)

यथाशक्ति प्रयास करेंगे

पुरैनी बिजनार उत्तर प्रदेश से लोक स्वराज्य अभियान के ज्येष्ठ साथी श्री धर्मवीर शास्त्री ने कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास करते रहने का भाव अभिव्यक्त किया है।

वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुॅचकर स्वास्थ्य लाभरत् श्री फूलचंद जैन ने अपने स्वास्थ्य की प्रतिकूलना के बावजूद अपने निवास परिक्षेत्र मुगेली के लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर में लोक स्वराज्य कार्य में यथासंभव सहयोग देने हेतु लिखा है। हालॉकि हाल ही में हृदय की बाइ पास शल्य चिकित्सा के बाद उन्हें विश्रामरत् रहने हेतु चिकित्सकों ने राय दी है।

होलसमुद्र (बीदर) कर्नाटक से श्री शिवाजी काले लिखते हैं– आप आगे बढ़े, सफलता नजदीक है। आपके विचार बहुत रोचक व मनन योग्य है। बस्ती (उ. प्र.) से श्री बाल सोम गौतम के अनुसार भी अभियान देर सबेर सफल होंगे ही। औराद शाहजहानी (महाराष्ट्र) से प्राचार्य श्री सदाविजय आर्य लिखते हैं– बजरंग जी के विचार पढ़कर सात्विक आनंद होता है। उनका विश्लेषण कौशल व उनके विचारों कि दिशा अनुकरणीय है। वे लिखते हैं उनसे जो कुछ कर पाना संभव होगा, करता रहूॅगा। शाहजहॉपुर (उ.प्र.) से पत्रकार पंडित श्री सुरेशचंद्र त्रिवेदी ने उनकी श्रमसाधना को सराहनीय व सफल निरूपित किया है। उन्होंने लोक स्वराज्य मंच की दिन प्रतिदिन उन्नति व ज्ञानतत्व के अविराम प्रकाशन हेतु शुभेच्छाय दी हैं। उज्जैन मध्यप्रदेश से श्री नारायण माधबानी ने लिखा है– बजरंग जी का विचार संसार सर्व मंगलकारी, सुसंस्कृत व बेबाक है जो नैतिक सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन के भाव से ओत प्रात है। उनका संविधान अध्ययन व समाजोत्थानकारी सर्वोदयी विचार सराहनीय है। बस्ती (उ.प्र.) के डॉ.मुनिलाल उपाध्याय क मत से लघु पत्रिका ज्ञानतत्व में बजरंग जी के समग्र शाध परख विचार स्वीकार योग्य है। वे मानवता के पथ प्रदर्शन का जो कार्य कर रहे हैं। वह राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा है। इसलिए आप राष्ट्र के सजग प्रहरी व मौलिक निर्माता है।

अलग तरीके से बताऊंगा मंच के बारे में– विनोद

अशिक्षितों व शिक्षितों को लोक स्वराज्य मंच के बारे में अलग–अलग तरीकों से उन्हीं की भाषा में समझाने की जरूरत बतात हुए गोहाना (सोनीपत) हरियाणा से विनोद खृनगवाल लिखते ह कि वे थोड़ा अलग तरीके से लागों को मंच की जानकारी देंगे। वे लिखते है कि आर्थिक मदद भेजते रहेंगे और इकट्ठा होने पर संगठन को मजबूत करेंगे हेतु पैसे भेज देंगे। उन्होंने लोक स्वराज्य मंच का साहित्य भेजने की मॉग करते हुए लिखा है कि राशि प्रेषित कर देंगे।

आपातकाल जैसी सख्ती हो– डॉ. अनुपम

तल्लीताल, नैनीताल (उत्तरांचल) से डॉ. अनुपम लिखते है कि मौजूदा पंचायत राज प्रणाली आज भी संसद की कृपा पर निर्भर है। हमें उसका विरोध निश्चित रूप से करना चाहिए। वह अभी भी आय स्त्रोत हेतु शासन के विधायी निर्णयों पर निर्भर है। राजस्व क स्त्रोत निर्धारित हैं। पंचायत ही नहीं देश की किसी भी प्रणाली में शिकायतें आमंत्रित कर गुप्त रखने व उनको त्वरित निराकृत तो दूर उन शिकायतों को विधिवत् अनिवार्यतः रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं पत्रकार तक विज्ञापनों को लाभ देकर पंगु बना दिये गये हैं। वे कोई समस्या हल कर पाने में अक्षम हो गए हैं। वस्तुतः सख्ती, वह भी आपातकाल जैसी किये बिना यह देश सुधरने वाला नहीं है। बहरहाल म ज्ञानतत्व का शुल्क भेज रहा हूॅ।

गॉधी से भी आगे के विचार है बजरंग जी के– सहाय

आगरा (उ.प्र.) से गाधी शांति प्रतिष्ठान् के नव सचिव श्री कृष्णचंद्र सहाय ने लिखा है कि बजरंगलाल जी ने डंके की चोट पर वे कार्य भी किए हैं जो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं कहे जा सकते पर उनकी निष्ठा पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता। वे साधु नहीं हैं मगर उन्होंने रंग गेरूवा किया होता तो आज जगह–जगह उनके स्वागत की झड़ी लगी होती। वास्तव में उनके पास अपने विचार हैं जो हो सकता है राष्ट्रपिता महात्मा गाधी से भी आगे के विचार हों। गॉधी जी खुद कह गए थे कि वे कोइ वाद छोड़कर नहीं जा रहे।

संवाद माध्यम भी यथास्थितिवादी : रवींद्र

गुना म.प्र. से संवाद सरोवर संस्था के संयोजक व पत्रकार श्री रवींद्र सिंह तोमर के अनुसार प्रचार प्रसार/संवाद माध्यम (इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया) भी यथा स्थितिवादियों की इच्छा अनुसार चल रहे हैं। इन यथास्थितिवादियों का चौतरफा सामाजिक वर्चस्व बढ़ा है जो 'मैं और मेरा' की उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर संघर्षकर्ता बिखरे पड़े हुए हैं।

ज्ञानतत्व ने जोड़ा लोक स्वराज्य से– राजू

रानीगॉव (बिलासपुर), छत्तीसगढ़ से युवा पुरूस्कार प्राप्त श्री राजू देवांगन ने लोक स्वराज्य मंच का उद्दश्यपत्र, सदस्यता आवेदन प्रपत्र व पूर्ण विवरण भेजने एवं ज्ञानतत्व भेजते रहने हेतु लिखा है। उनके अनुसार ज्ञान तत्व सत्यता व निष्पक्षता की प्रतीक है। उसी को पढ़कर वे लोक स्वराज्य मंच से जुड़कर तन मन से निस्वार्थ भाव से समाज कार्य करने हेतु शपथबद्ध हुए हैं तथा किसी भी राजनैतिक दल से नहीं जुड़ें हैं।

प्रिं.अ.अज्ञानी